

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4451]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर <i>9</i> , 2018⁄कार्तिक 18, 1940	
No. 4451]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940	

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

का. आ. 5664(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत:--

अधिसूचना की अनुसूची मेंउक्त, क्रम सं .15 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत पित कीस्था:जाएंगी, नामत:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"15	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 [कि.मी. 330.000 से कि.मी. 430.400 (इम्फाल – मोरेह खंड) तक खंड	मणिपुर
	को छोड़कर], सं. 53 (कि.मी. 0.000 से कि.मी. 3.22), सं. 150 [कि.मी. 402.000 से किमी	राज्य
	488.000 (चूड़ाचंदपुर – येंगैंगपोपकी खंड)], नई रारा सं. 102ए (फिंच कार्नर – कसोम खुल्लेन –	सरकार" ।
	कमपांग – टेंगनूपाल खंड), नई रारा सं. 102सी और नई रारा सं. 137ए के उतने भाग जो कि	
	मणिपुर राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा.सं. एनएच-14013/19/2014-पीऐंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

6580 GI/2018 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार का.आ. 5569(अ), तारीख 29.10.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

S.O. 5664(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"15	So much of National Highway No. 39 [excluding from km. 330.000 to km.	State Government of
	430.400 (Imphal –Moreh Section)], No. 53 (from km. 0.000 to km. 3.22), No.	Manipur".
	150 [from km. 402.000 to Km. 488.000 (Churachandpur – Yaingangpokpi	
	Section)] new NH No. 102A (Finch Corner-Kasom Khullen-Kampang-	
	Tengnoupal Section), new NH No. 102C and new NH No. 137A as are situated	
	within the State of Manipur.	

[F. No. NH-14013/19/2014-P&M (pt)] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5569 (E), dated the 29.10.2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

का. **बा. 5665**(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज कि.मी. में
(1)	(2)	(3)
39	(इम्फाल - मोरेह खंड) (मणिपुर राज्य में)	कि.मी. 330.000 से कि.मी. 430.400

[फा.सं. एनएच-14013/19/2014-पीऐंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

S. O. 5665(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway number	Section	Stretch/length in Kilometers
(1)	(2)	(3)
39	(Imphal-Moreh) (In the State of Manipur)	Km. 330.000 to Km. 430.400

[F. No. NH-14013/19/2014-P&M(pt)]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.